

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

अधिसूचना

संख्या-8/हंसंपुनर्गठन-45-2014....., 1620 - राँची, दिनांक: 01/06/15

हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 2560, दिनांक- 17.10.2014 द्वारा गठित झारखण्ड राज्य हज समिति से निम्न मनोनित सदस्यों की सदस्यता उनके विधानसभा सदस्य न रह जाने के आलोक में समाप्त की जाती है :-

1	श्री मन्नान मल्लिक, स०वि०स०,	धनबाद।
2	डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स०,	गाण्डेय, गिरिडीह।
3	मो० निजामुद्दीन अन्सारी, स०वि०स०,	राजधनवार।

2. उक्त धारा के आलोक में उपरोक्त के स्थान पर निम्नांकित माननीय सदस्य, झारखण्ड विधानसभा को झारखण्ड राज्य हज समिति में सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है :-

1	श्री आलमगीर आलम, स०वि०स०,	पाकुड़।
2	श्री इरफान अंसारी, स०वि०स०,	जामताड़ा।

3. नव मनोनित सदस्यों का कार्यकाल विभागीय अधिसूचना संख्या- 2560 दिनांक- 17.10.2014 के निर्गत तिथि से तीन वर्षों का रहेगा।
4. उक्त अधिसूचना संख्या- 2560, दिनांक- 17.10.2014 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(नुरूल होदा)

सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक: 01/06/15

ज्ञापांक:- 8/हंसंपुनर्गठन-45-2014 - 1620

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(नुरूल होदा)

सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक: 01/06/15

ज्ञापांक:- 8/हंसंपुनर्गठन-45-2014 - 1620

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ प्रेषित।

(नुरूल होदा)

सरकार के उप सचिव।